

★ संविधान की अनुसूचियाँ ★

Date _____ Page _____

क्र.सं.

अनुसूची

प्रावधान

1.

प्रथम

1. संघ और उसके राज्य क्षेत्रों का प्रावधान (28 राज्य व 9 केन्द्रशासित प्रदेश)

2.

दूसरी

भारत के प्रमुख पदाधिकारियों को सौचित निर्दिष्ट वेतनभत्तों के प्रावधान

3.

तीसरी

शापथ के प्रावधान

4.

चौथी

राज्य सभा में सीटों का आवंटन

5.

पाँचवीं

अनुसूचित जाति व अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के प्रावधान

6.

छठी

असोम, मेघालय, मिजोरम व त्रिपुरा राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के प्रावधान

7.

सातवीं

केन्द्र एवं राज्यों के बीच विषयों का विभाजन करने के लिए बनाई गई 3 सूचियों के प्रावधान

★ 8.

आठवीं

भाषाओं के प्रावधान, इसमें राजभाषा का दर्जा प्राप्त 22 भाषाएँ हैं

9.

नवीं

भूमि सुधार के प्रावधान (प्रथम संशोधन) ★

* संसद के द्वारा पारित विधेयक को नवी अनुसूची में डाल दिये जाने पर इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।
परन्तु इस विधेयक का संबंध संविधान के मूल अधिकारों से नहीं होना चाहिए।

- 10 दसवीं दल-दल पर रोक के प्रावधान
- 11 ग्यारवीं पंचायती राज के प्रावधान (29 विषय)
- 12 बारहवीं नगर-निकायों के प्रावधान (18 विषय)

मुख्य कर्तव्य / मौलिक कर्तव्य
[भाग 4 क, अनुच्छेद 51 क]

11 मुख्य कर्तव्य क्रमबद्ध रूप से निम्नलिखित हैं →

1. संविधान का पालन तथा राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करना।
2. स्वतंत्रता आंदोलन के उच्च आदर्शों का पालन करना।
3. देश की प्रभुता, एकता व अखण्डता को बनाये रखना।
4. देश की रक्षा एवं राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहना।
5. देश के लोगों में समरसता तथा समान भावत्व की भावना का विकास करना तथा वर्ग आधारित भेदभाव एवं ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जो स्त्रीयों के सम्मान के विरुद्ध हैं।
6. हमारी सुनामजन्य पूर्ण एवं गौरवशाली परम्परा या संस्कृति को बनाये रखना।
7. प्राकृतिक पर्यावरण, वन, नदियाँ, झीलें, वन्यजीवों का संरक्षण तथा प्राणीमात्र के प्रति दया।
8. वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, जनार्जन एवं सुधार की भावना।
10. व्यापक एवं सामूहिक उन्नति का प्रयास करना।
9. सार्वजनिक सम्पत्ति की रक्षा तथा हिंसा का परित्याग करना।
11. माता-पिता व संरक्षक के रूप में अपने बालकों को प्राथमिक शिक्षा दिलाना।

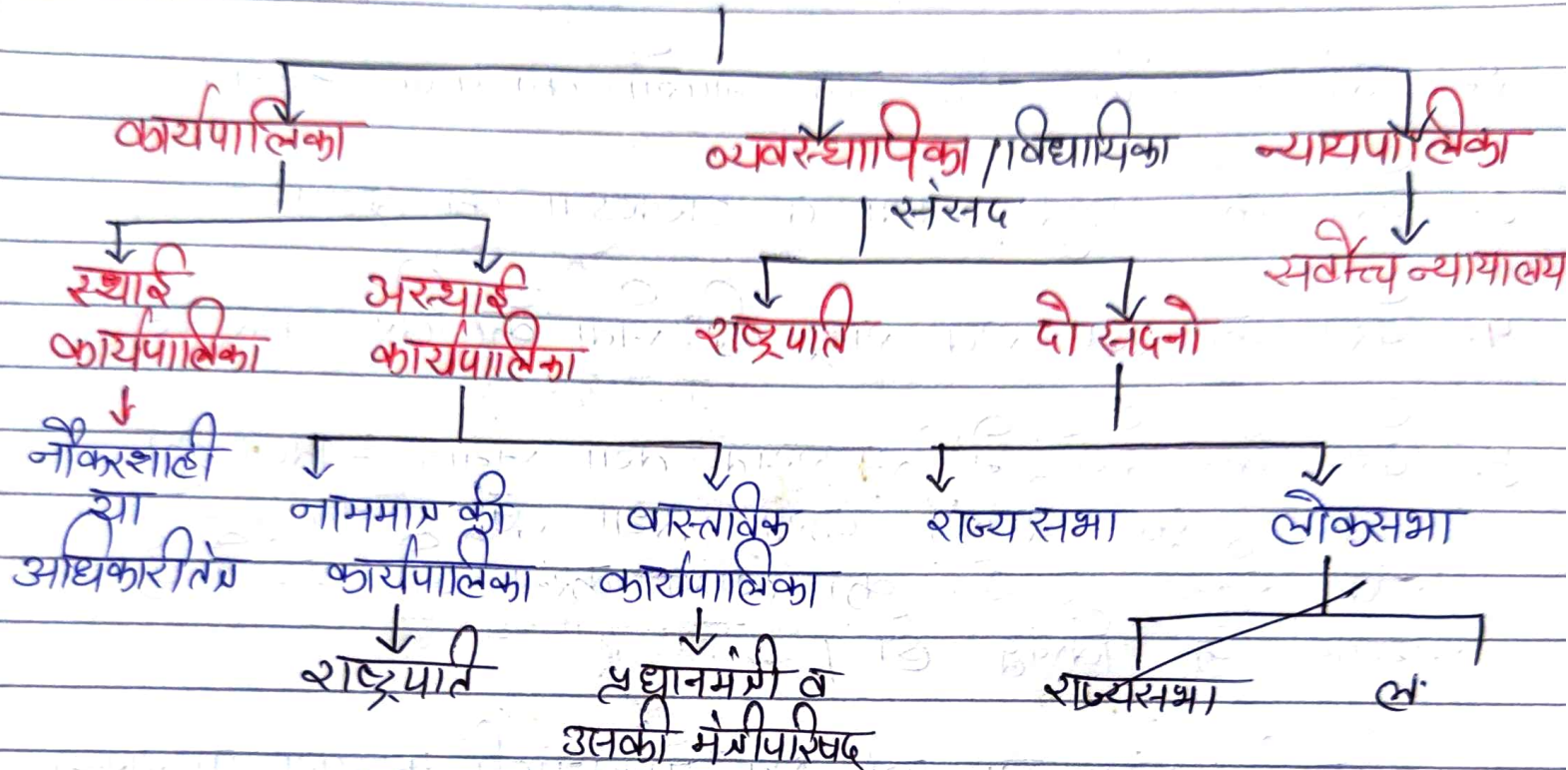
[2002 में 86वाँ संविधान संशोधन करके अनुच्छेद 51-A में शामिल किया गया।]

उसके अलावा अनु-51A में भी अभिभावकों के बच्चों की शिक्षा व अवसर प्रदान करने संबंधी कर्तव्य की बात कही गयी है।

अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यशाला में।

भारत संघ का शासन [भाग-5, अनु. 52-151]

भारत संघ का शासन



- * देश में सबसे कम अवधि की सरकारें → ५ दिन - जगदीशका पाव सरकार - 1998
 १ दिन → लॉरेन्स चौड्युरपा सरकार - २०१४
 ३ दिन → देवेन्द्र फडणवीस - २०१७.

- * महाराष्ट्र में C.M (मुख्यमंत्री) - उद्धव ठाकरे (शिवासेना प्रमुख) [इपच-२४:]
 प्रोटेम (पीकर) → भाजपा के कालिदास कोलवकर [दिसंबर २०१७]

महाराष्ट्र * शिवांगी - नौ सेना की पहली महिला पायलट

प्रिया - देश की सातवीं फास्टर पायलट

६५ वॉ ज्ञानपीठ पुरस्कार - मलयाली लेखक आम्बेकृतम को दिया / २०१७

- * पुनर्गठन के बाद पंचायतें - १११५६ ग्राम पंचायतें हैं अब जबकि
 पहले - ७४४४ थीं।

* २७५ पंचायत समितियाँ हैं अब जबकि पहले ३५३ थीं।

* मिश्र यूनिक्स २०१७ अरुण जीतिवनी टूजी के रीर राज

* दुनिया की सबसे युवा प्रधानमंत्री (फिनलैंड) सना मरीन (३५ वर्ष)

* लैंगिक समानता में १२२वाँ स्थान (१६२ देशों में)

* नागरिकता संशोधन विधेयक पास २०१७ (१० दिसंबर २०१७)

लोकसभा - ३११ वोट पक्ष

राज्यसभा - १२६ पक्ष

४० सदन विपक्ष

१०६ विपक्ष